

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला—उदयपुर
पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S

उनवान

1. श्री जीवनदान पिता नारु चारण निवासी गडवाडा भीमल तहसील मावली।

.....वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।
2. पटवारी, पटवार हल्का बांसलिया तहसील मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 62/25 (वाद) GCMS No. – 2025/124

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा गडवाडा पटवार हल्का बांसलिया तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077-80 के खाता संख्या 163 पर दर्ज आराजी नम्बर 617, 618, 628, 634, 745, 831/633, 834/746 किता 7 कुल रकबा 2.1690 हेक्टेयर एवं खाता संख्या 79 पर दर्ज आराजी नम्बर 626, 826/636 किता 2 कुल रकबा 0.4694 हेक्टेयर भूमि में खातेदार जीवादान पिता नारु चारण के बजाय जीवादान उर्फ जीवनदान पिता नारु चारण संशोधन किया जाने का आदेश दिया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 25.07.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

